न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर(राज.)

निर्णय द्वारा अध्यासित रोहित गुप्ता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **19/2014** (आवंटन निरस्ती)

श्री राधेश्याम पिता भगवानलाल ब्राम्हण निवासी ग्राम विजयपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्रीमती बाबरी पत्नि स्व. श्री सोहनदास वैरागी
2. श्री रतनदास पुत्र स्व. श्री सोहनदास वैरागी
3. श्री जगदीशदास पुत्र स्व. श्री सोहनदास वैरागी

सर्वनिवासी ग्राम पुरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4)
कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितः— 1. श्री सुरेशपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः 29.11.16

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम बालाथल, पटवार क्षेत्र बालाथल, भू— अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वल्लभनगर, जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 79 रकबा 2 बिघा 14 बिस्वा भूमि स्थित रही जो मूल आवंटी श्री सोहनदास विपक्षी संख्या 1 के पति विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 20 के अन्तर्गत अतिक्रमी मानते हुए उपरोक्त ग्राम की अन्य आराजीयात के साथ आवंटन की गई जिस पर नामान्तरकरण संख्या 29 का राजस्व अभिलेखों में सोहनदास के नाम इन्द्राज किया गया। सोहनदास की मृत्यु के उपरान्त विरासत से विपक्षीगण के नाम नामान्तरकरण संख्या 203 दिनांक 23.08.2014 के जरिये राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किया गया हैं। उक्त भुमि पर आवंटन के पूर्व से ही प्रार्थी के पूर्वजो का कब्जा होकर अन्य ग्रामवासियों के साथही मकान बना होकर

निवासरत है तथा बिजली का कनेक्शन लिया हुआ हैं। साथही इसी खसरा नम्बर में ग्राम में जाने के लिये सी.सी. रोड़ बने हुए हैं। इस भूमि पर कभी भी कृषि जोत कार्य नहीं किये है नाही आवंटी सोहनदास का कभी इस भूमि पर स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य ही रहा है। मुल आवंटी सोहनदास जी नजदीकी ग्राम पुरियाखेड़ी के निवासी थे। बालाथल के कभी भी निवासी नहीं रहे। मुल आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन बिना आवंटन समिति कि प्रक्रिया को पूर्ण कर मिसरिप्रेजेन्टेशन अथवा फ्रोड के आधार पर राजस्व अधिकारीयों कि मिलीभगत से किया गया हैं। मूल आवंटी कभी भी सद्भाविक काश्तकार नहीं रहा है नाही भूमिहीन काश्तकार रहा है। उसके नाम पुरियाखेड़ी में कृषि भूमि रही हैं। इस मामले में माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 2002 पेज 1 के मामले में सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि फ्रोड व मिसरिप्रेजेन्टेशन से प्राप्त किया गया आवंटन कभी भी रद्द किया जा सकता हैं। चाहे ऐसे व्यक्ति को खातेदारी मिल चुकी हो। इनके द्वारा आवंटन नियमों के नियमो की शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। आराजी नम्बर 79 पर प्रार्थी का मकान बना हुआ होकर अर्साकदिम से ही निवास कर रहा हैं एवं अन्य ग्रामवासियों के भी मकान बने हुए हैं। इसके संबंध में माननीय तहसीलदार महोदय वल्लभनगर के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर 10.07.14 को पटवारी बालाथल द्वारा मौका पर्चा व वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट चाही गई जिसमें साफ लिखा है कि आराजी नम्बर 79 में ग्राम विजयपुरा के निवासीयों के पुराने मकान बने हुए हैं। जिस पर कृषि कार्य नहीं हो रहा हैं। सोहनदास द्वारा कभी भी नियमन के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। नियमन की उद्घोषणा जारी नहीं हुई। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उक्त भूमि का आवंटन कर दिया गया। जो निरस्त योग्य है। किया गया आवंटन मात्र कागजो में ही हैं। दिनांक 10.07.14 को जब मौके पर ग्राम बालाथल पटवारी द्वारा पर्चा मौका रिपोर्ट बनायी तब दिनांक 25.08.14 को उक्त आराजी की नकले प्राप्त कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुल आवंटन आदेश दिनांक 06.08.75 को तथा नामान्तरकरण संख्या 203 दिनांक 23.08.14 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षीगणों की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुल आवंटी स्व. श्री सोहनदास वैरागी को मौजा बालाथल की आराजी नम्बर 79 रकबा 2 बिघा 14 बिस्वा एवं आराजी संख्या 80 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा भुमि का नियमन उनके इस भुमि पर कब्जा होने से दिनांक 20.01.75 को हुआ। इस भूमि पर इनका कब्जा इसके पूर्व से ही होकर नियमित रूप से काश्त की जाती रही थी। काश्त के आधार पर ही नियमन हुई। जिसकी रिपोर्ट मूल पत्रावली में पटवारी हल्का बालाथल की लगी हुई हैं। जो उनके स्वर्गवास के पश्चात् विपक्षीगण के कब्जेकाश्त में हैं। प्रार्थी का यह कथन कि आवंटन से पूर्व आराजी नम्बर 79 में प्रार्थी के पूर्वजो का कब्जा होकर अन्य ग्रामवासियों के साथ मकान बना होना बिजली का कनेक्शन होना, गॉव में जाने के लिये सी.सी. रोड़ बना हुआ होना आदि कथन प्रार्थी ने जानबुझकर मिथ्या व मनगढंत अंकित किये हैं। आराजी नम्बर 79 पर रकबा 2 बिघा 14 बिस्वा भूमि पर सोहनदास का कब्जा/अतिक्रमण चला आ रहा था। जिससे ही सन् 1975 में उसके पक्ष में नियमन/आवंटन किया गया। यह गलत है कि उक्त आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन अथवा फ्रोड से किया गया हैं। यह आरोप मिथ्या रूप से लगाये गये हैं। आर आर डी 2002 पेज नम्बर 1 में अंकित न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में किसी प्रकार का लागु नहीं होता हैं। विपक्षीगण स्व. सोहनदास के विधिक उत्तराधिकारी हैं। स्व. श्री सोहनदास का आराजी नम्बर 79 रकबा 2 बिघा 14 बिस्वा भूमि पर पुराना कब्जा/अतिक्रमण चला आ रहा था तथा स्व. श्री सोहनदास उक्त भुमि पर काश्त का कार्य करते थे, जिससे ही दिनांक 22.01. 1975 को स्व. श्री सोहनदास के पक्ष में नियमन/ आवंटन किया गया। जिसको अभी 40 वर्ष के करीब होने आये हैं। जिससे उक्त नियमन/आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। दिनांक 22.01.1975 के पश्चात् आदेश की पालना में दिनांक 06.8.1975 को उक्त आराजीयात स्व. श्री सोहनदास के नाम गैर खातेदारी हक से जरिये नामान्तरकरण संख्या 20 से दिनांक 06.08.75 को अंकित की गई। तत्पश्चात् दिनांक 26.06.1989 को उक्त भूमि सोहनदास के नाम गैरखातेदारी हक से खातेदारी हक में अंकित की गई

जिसके भी अभी 26 वर्ष का अर्सा होने आया हैं। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एकदम झूठा, मनगढंत व बेबूनियाद तथा कपोल कल्पित होने से निरस्त योग्य हैं। विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि के खातेदार, काश्तकार है, जिससे नियम 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 इसमें लागु नहीं होता हैं। वक्त नियमन/आवंटन प्रश्नगत भूमि के एक इन्च हिस्से पर भी प्रार्थी का अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं होने से प्रार्थना पत्र झुठा एवं मनगढंत पेश किया जाने से निरस्त योग्य हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा स्व. सोहनदास जी के जीवनकाल में कभी भी आपत्ति नहीं की गई। वर्तमान समय में प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि में जबरन कब्जा किया जाने लगा व जबरन कुछ भूमि प्रार्थी को देने के लिये प्रार्थी ने दबाव बनाया, जिसका विपक्षीगण ने विरोध किया, जिससे विपक्षीगण को दबाव में लाने हेतु यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। विपक्षीगण गरीब काश्तकार है, प्रार्थी गॉव विजयपुरा के कुछ व्यक्तियों की मदद से शारीरिक बल को आधार पर गत 1–2 वर्षो से विपक्षीगण को प्रश्नगत आराजी में फसले नहीं बोने दे रहा है व प्रार्थी की नियत यह है कि वह शारीरिक बल के आधार पर विपक्षीगण की जमीन छीन ले, मात्र इसी दुराशय से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है जो विशेष हर्जे–खर्च सहित निरस्त योग्य हैं। आराजी नम्बर 79/1 रकबा 17 बिश्वा किस्म भूमि आबादी में अंकित है जो प्रार्थी के पूर्वाधिकारीयों व उनके भाई बन्धुओ को आवंटन हुई थी, जिस पर सभी लोगो ने मकान बना लिये। प्रार्थी का भी आराजी नम्बर 79/1 में मकान बना हुआ है, फिर भी प्रार्थी नाजायज तरीके से विपक्षीगण की भूमि को छिनना चाहता है जिससे प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य हैं। यह भी उल्लेखित है कि प्रार्थी के पिता ने आराजी नम्बर 79 में से 3 बिघा भूमि बाड़े हेतु अस्थायी प्रकार से आवंटन करायी थी जो बाद में निरस्त हो गयी। उक्त आराजी नम्बर 79/2 में भी प्रार्थी व उसके भाई ने नियमों के विपरीत जाकर नाजायज प्रकार से पक्का मकान बना लिया। जिससे प्रार्थी व उसका भाई मिठालाल निवास कर रहे हैं। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने झुठे कथनों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से व दुराशय के कारण प्रस्तुत किया जाने से विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मुल आवंटी सोहनदास को मौजा बालाथल के आराजी नम्बर 79 रकबा 2 बिघा 14 बिस्वा भुमि का नियमन गलत हुआ हैं। इस भूमि पर प्रार्थी के पूर्वजो का कब्जा आवंटन के पूर्व से ही होकर गॉव के कई लोगो के मकान बने हुए हैं। इसी आराजी में गॉव जाने का रास्ता सी.सी. रोड़ बना हुआ हैं। सोहनदास पुरियाखेड़ी का निवासी था जो बालाथल से दुर हैं। सोहनदास कभी भी सद्भाविक काश्तकार नहीं रहा नाही भूमिहीन काश्तकार रहा हैं। उसके नाम नियमन से पूर्व ही उसके ग्राम पुरियाखेड़ी में जमीन थी जो उसके द्वारा नहीं बतायी गई। उसे द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। कब्जे के संबंध में प्रार्थी द्वारा तहसीलदार वल्लभनगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिनके द्वारा वास्तविक रिपोर्ट मांगी गई थी। पटवारी हल्का बालाथल द्वारा एक रिपोर्ट बनायी गई जिसकी छायाप्रति संलग्न पत्रावली हैं। जिसके अनुसार भी इस भुमि पर सोहनदास व उसके वारीसानों का कब्जा नहीं हैं। यह तो मात्र इस गॉव में चारभुजा जी की पुजा करने आता था। अब यह चारभुजा जी की पुजा भी नहीं करता हैं। सोहनदास का स्वर्गवास भी हो गया हैं। नियमन करने से पूर्व विधिक प्रक्रिया नहीं अपनायी गई। इस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व उसके मकानात होने से व सोहनदास व उसके बाद में उसे वारीसानों का कभी कब्जा नहीं रहने से आर आर डी 2002 पेज 1 के अनुसार आवंटन को निरस्त कराना फरमावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि सोहनदास का आराजी नम्बर 79 के साथ साथ में आराजी नम्बर 80 पर भी कब्जा आवंटन से पूर्व का ही होने से नियमानुसार नियमन की गई। प्रार्थी को भुमि का आवंटन हुए करीबन 40 वर्ष हो चुके हैं। अब जाकर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो एकदम झुठा, मनगढन्त व बेबूनियाद तथा कपोल कल्पित होने से निरस्त योग्य हैं। आवंटन नियम 14 (4) इस पर लागु नहीं होते हैं। इस भूमि पर किसी अन्य का कब्जा नहीं हैं। इस भुमि पर नियमित रूप से सोहनदास द्वारा काश्त की जाती रही थी। उनके बाद में उनके विधिक वारीसानों द्वारा काश्त की जा रही हैं। गत 1–2 वर्षो से विपक्षीगणों को प्रश्नगत आराजी में फसल नहीं बोने दे रहा हैं एव

प्रार्थी कि नियत यह है कि वह शारिरीक बल के आधार पर विपक्षीगण की जमीन छीन ले। मात्र इसी दुराशय से माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पटवारी हल्का बालाथल द्वारा मौके की जो रिपोर्ट बनायी गई है वह हमारी अनुपस्थिति में बनायी गई जो हमारे मुकाबले शुन्य हैं। एक बार आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है उसके पश्चात् आवंटन का निरस्तीकरण नहीं हो सकता हैं। नियतन राज्य पक्ष द्वारा किया गया हैं। निरस्तीकरण की कार्यवाही भी राज्य पक्ष द्वारा ही की जा सकती हैं। प्रश्नगत भुमि पर प्रार्थी का ना तो किसी प्रकार का कब्जा ही रहा और नाही ये नियमन की कार्यवाही में पक्षकार रहे हैं। ये व्यथित पक्षकार नहीं होने से इन्हें नियमन को चुनौती देने का कोई अधिकार भी नहीं रहता हैं। वास्तविकता यह है कि आराजी नम्बर 79 मी. काफी बड़ा रकबा था जिसमें से प्रार्थी के अलावा अन्य खातेदारों को भी 17 बिस्वा भुमि का आवंटन हुआ था यह वर्तमान में आबादी है जिसमें प्रार्थी एवं अन्य लोगो के मकान बने हुए हैं। इसी आराजीयात में सीसी रोड़ बनी हुई हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगणों की आराजीयात मिली हुई होने से इन लोगो द्वारा विपक्षीगणों को येनकेन प्रकारेण जलील व परेशान कर इस भुमि से हटाने की कार्यवाही हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। बहस की ताईद में आर बी जे (16) 2009 पेज 201, आर एल डब्ल्यू आर जे (2003) पेज 265, आर एल डब्ल्यू (राज) 1998 पेज 1409, आर एल डब्ल्यू आर जे (2001) पेज 778, आर एल डब्ल्यू आर जे (2006) पेज 268, आर आर डी 1997 पेज 195, आर बी जे 1995 (2) पेज 781, आर एल डब्ल्यू आर जे (2008) पेज 640, आर आर डी 1996 पेज 501, आर बी जे (6) 1999 पेज 412, आर एल डब्ल्यू राज (2007) पेज 995, आर एल डब्ल्यू आर जे 12/(2005) 2 सीटी 336/(2005) 7 आर आर डी 2358, आर आर डी 1999 पेज 128, आर बी जे (16) 2009 पेज 201, आर आर टी 2014 (2) पेज 1151, आर आर डी 1996 पेज 617 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये। साथही जिन्स गिरदावरी की नकले व अन्य प्रस्तुत दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत अधिवक्ता विपक्षी की नजीरो का ससम्मान अवलोकन के पश्चात् न्यायालय का मत है कि प्रश्नगत भुमि

विपक्षीगणों के पिता व पति को वर्ष 1975 में कब्जे के आधार पर नियमन हुई। संलग्न खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2033, 2034 से 2037, 2038 से 2041, 2042 से 2045, 2046 से 2049, 2050 से 2052, 2062 से 2065, 2066 से 2069 में आराजी नम्बर 79 सोहनदास पिता हिम्मतदास वैरागी निवासी पुरीयाखेड़ी के नाम दर्ज होकर नियमित रूप से काश्त दर्ज होती आ रही हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि इस भुमि पर नियमन व नियमन के पश्चात् निरन्तर मुल नियमनधारी सोहनदास का कब्जा काश्त रहा हैं। इस कारण प्रार्थी के इन कथनो को सही नहीं ठहराया जा सकता है कि इस भुमि पर सोहनदास का कब्जा नहीं रहा। उसके द्वारा काश्त नहीं की जा रही थी। आवंटन नियमो की पालना नहीं की गई। उक्त जिन्स गिरदावरी से स्वतः ही यह साबित होता है कि इस भूमि पर सोहनदास का कब्जा होकर उसके द्वारा नियमन शर्तो की पालना की गई। संलग्न जमाबन्दी वर्ष 2070 से 2073 में यह भूमि बतौर खातेदारी से दर्ज हैं एवं विरासत व हकत्याग से विधिक वारीसानों के नाम पर दर्ज हुई हैं। संलग्न मुल नियमन की पत्रावली के अवलोकन से भी यह स्पष्ट जाहीर हो रहा है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का बालाथल के द्वारा दिनांक 20.06.75 को की गई है जिसमें इस आराजी में मक्की, उड़द व तिल्ली की काश्त दर्ज होकर कैफियत में कब्जा पुराना होकर काश्त कर रहा है की रिपोर्ट दर्ज हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर इस भुमि का उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमानुसार नियमन किया गया हैं। संलग्न जमाबन्दी ग्राम विजयपुरा की संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 17 में प्रार्थी व अन्य लोगो के नाम आवंटन होकर खसरा नम्बर 79/1 से दर्ज होकर किस्म आबादी हैं। जिससे यह साबित होता है कि इसी आबादी भूमि में प्रार्थी व अन्य लोगो के मकानात रास्ता इत्यादी बने हुए है परन्तु विपक्षीगणों की भुमि में किसी प्रकार के मकानात व रास्ते नहीं हैं। पटवारी हल्का बालाथल द्वारा दिनांक 10.07.14 को जो मौका पर्चा कारीत किया हुआ है जिसकी छायाप्रति संलग्न पत्रावली है के अवलोकन से यह जाहीर होता है कि यह विपक्षीगणों की अनुपस्थिति में बनाया गया हैं। जब नकल जिन्स गिरदावरी में संवत् 2069 में जिन्स गिरदावरी दर्ज है तो प्रार्थी का यह कथन किस प्रकार सही ठहराया जावे कि इस आराजी में नियमन से पूर्व से ही प्रार्थी के पूर्वजो का कब्जा रहा है यह कथन साबित नही होते हैं। विपक्षीगणों के पिता व पति को

इस भुमि का नियमन होकर विधिवत रूप से खातेदारी प्राप्त हुई है और प्रार्थी के पिता का निरन्तर रूप से इस भूमि पर कब्जा काश्त चलता आ रहा हैं। प्रार्थी के पिता व पति के पक्ष में नियमन आदेश पारित करने में किसी प्रकार का फ्रोड या मिसरिप्रजेन्टेशन नहीं किया गया हैं और नाही किसी तथ्य को छिपाया गया हैं एवं नियमन को निरस्त करने का कोई आधार नहीं बनता हैं। जब प्रश्नगत भुमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कब्जा ही नहीं रहा है तो उसे नियमन को चुनौति देने का भी कोई अधिकार नहीं बनता हैं। प्रार्थी द्वारा नियम 14(4) के प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह लिया है कि विवादीत आराजी पर प्रार्थीगण के पूर्वजो का पुराना कब्जा चला आ रहा हैं। परन्तु यह साबित कराने में प्रार्थी असफल रहा हैं। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नजीरे भी वर्तमान मामले पर चस्पा होती हैं। हम इन नजीरो में दिये गये सिद्धांत से सहमत है कि 40 वर्ष पश्चात् और खातेदारी भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त किया जाना उचित नहीं हैं एवं नियमन निरस्तीकरण की कार्यवाही नियम 14(4) के तहत नहीं की जा सकती हैं।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति के उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर को पुनः प्रतिप्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(रोहित गुप्ता)
जिला कलक्टर
उदयपुर